

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या ०८ / 2017

दिनांक: 31/10/2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का न रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर सायल

21/11/2017 पुत्र ले.वे.राम जाति विश्वेश साकिन 1959-11
ए.ए. 7 BHM के चक 7 BHM के मुरब्बा नं० 95 के
किला नं० 1,2,4,5,8,9 रकबा 5.10 बीघा 18

राजकीय भूमि पर नाजायज कारत कर अतिक्रमण किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का सम्वत 1954 की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैरसायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि सतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल

21/11/2017 पुत्र श्री ले.वे.राम जाति विश्वेश
साकिन 1959-11 चक 7 BHM मु० नं० 95 कि० नं० 1,2,4,5,8,9
रकबा 5.10 बीघा के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व
अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है
तथा भू-राजस्व 1.10.2017 का 50 गुणा रूपये 55/- शास्ति से दण्डित
किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली
बाबत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली बाबत हल्का
पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31/10/2017 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार (राजस्व)
तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर
लूनकरनसर